

फर्द अहकाम

रामलाल

बनाम

प्रहलाद

दालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

प्रार्थना पत्र 65/2023

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

30.01.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं० 1 लगायत 3 के विरुद्ध मूलवाद में सम्यक तामील मानी जाकर अप्रार्थी सं० 1 लगायत 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त आराजी ख्वादग्रस्त आराजी ख०नं० 19 रकबा 0.0885 है०, ख०नं० 20 रकबा 6.2466 है०, कुल किता 2 कुल रकबा 6.3351 है० स्थित ग्राम गंगारामपुरा पटवार हल्का बराला भू०अ०नि० सांभरिया तह० बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 73/2023 रामलाल बनाम प्रहलाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद त्रकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
बस्सी, जिला जयपुर